पत्रांक–4/क्षे0स्था0 अमीन विविध (संविदा नियोजन)–03–12/2024–..................(4)/रा0,

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

इन्दु कुमारी,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
बिहार
(जहानाबाद एवं किशनगंज को छोड़कर)।

पटना–15, दिनांक–....................

विषय :– संविदा के आधार पर अमीन के पद पर नियोजन के संबंध में।

प्रसंग :– विभगीय आदेश संख्या–218(4), दिनांक–09.05.2025

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय में संविदा के आधार पर पूर्व में कार्यरत कुल–374 अमीनों (अमानत/सर्वेयर) को विभाग अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों में अमीन के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु सृजित पद के विरूद्ध कार्यहित में संविदा के आधार पर नियोजन हेतु प्रासंगिक आदेश द्वारा जिला आवंटित कर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कर दिया गया है।

2. चयनित अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित सभी प्रमाण पत्रों के जाँचोपरान्त प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने के उपरान्त इस आशय् का शपथ–पत्र प्राप्त किया जाए कि उनके द्वारा दिये गये सभी प्रमाण पत्र सही है तथा भविष्य में कोई त्रुटि पाये जाने पर उनका नियोजन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा एवं विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

3. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–12534, दिनांक–17.09.2018 एवं संविदा नियोजन हेतु अन्य संगत परिपत्रों में निहित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए चयनित अभ्यर्थियों के सभी प्रमाण पत्रों के जाँचोपरान्त अपने स्तर पर संतुष्ट होने के पश्चात् नियोक्ता द्वारा नियोजन पत्र निर्गत किया जाएगा। नियोजन के क्रम में नये सिरे से एकरारनामा करना होगा। नियोजन पत्र निर्गत की तिथि से 30 दिनों के अन्दर योगदान नहीं किये जाने की स्थिति में उम्मीदवारी रद्द मानी जाएगी। योगदान की तिथि से मानदेय/पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।

4. उक्त अमीनों का नियोजन नियमित नियुक्ति हेतु स्वीकृत पद के विरूद्ध नियमित नियुक्ति होने तक के लिए किया जाएगा। नियमित नियुक्ति होने के पश्चात् संविदा स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसके लिए अलग से कोई आदेश निर्गत नहीं किया जाएगा।

5. आरोप/भ्रष्टाचार में संलिप्त पाये जाने पर अथवा सेवाकाल में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में अथवा नियंत्री पदाधिकारी (यथा–अंचलाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी/अपर समाहर्त्ता) के अनुशंसा के आलोक में समाहर्त्ता द्वारा तत्काल प्रभाव से संविदा समाप्त कर दी जाएगी।

6. संविदा के आधार पर नियोजित उक्त अभ्यर्थी सरकारी सेवक नहीं माने जाएगे और सरकारी सेवक को अनुमान्य किसी भी सुविधा के वे हकदार नहीं होंगे। संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितीकरण का उनका कोई भी दावा नहीं बनेगा।

7. अनुरोध है कि जिला समाहरणालय के किसी कर्मी/पदाधिकारी को (पेन ड्राइव सहित) प्राधिकृत करते हुए चयनित अभ्यर्थियों के डोजियर एवं सूची दिनांक—13.05.2025 से 16.05.2025 तक विभाग से प्राप्त करने हेतु निदेशित किया जाए। डोजियर प्राप्त होने के पश्चात 07 (सात) दिनों के अन्दर निश्चित रूप से नियोजन की कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए एवं कृत कार्रवाई से विभाग को अवगत कराया जाए।

8. उक्त प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह0/—
(इन्दु कुमारी),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक—4/क्षे0स्था0 अमीन विविध (संविदा नियोजन)—03—12/2024—..........(4)/रा0, पटना—15, दिनांक—...

ई—मेल प्रतिलिपि :— सभी अपर समाहर्त्ता, बिहार (किशनगंज एवं जहानाबाद को छोड़कर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/—
(इन्दु कुमारी),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक—4/क्षे0स्था0 अमीन विविध (संविदा नियोजन)—03—12/2024—219(4)/रा0, पटना—15, दिनांक—09/5/25

प्रतिलिपि :— माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

09/05/25
(इन्दु कुमारी),
सरकार के उप सचिव।